

In immediate
Put up on file
with legal opinion
Apt
22.5

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी. 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक: एफ 11(166)DOB(R&P)/SJED/2016

जयपुर, दिनांक

26.5.08
अधिसूचना

19/05/2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 52307 दिनांक 06.08.1994 द्वारा क्र०स० 5 पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.स. 15 गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.स. 16 पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.स. 20 पर गूजर, गुर्जर एवं क्र.स. 44 पर राईका, रैबारी (देबासी) को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 को दिनांक 31.07.2009 से राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 4 जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) जातियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(164)/आरएण्डपी/सान्याअवि/02/46855 जयपुर दिनांक 25.08.09 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(164)/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/83573 जयपुर दिनांक 28.11.2012 द्वारा गडरिया(गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में क्र.स. 5 पर सम्मिलित किया गया।

उक्त पश्चात् राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)/डीओपी/ए-II/2015-(1) जयपुर दिनांक 16.10.2015 द्वारा राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम, 2015 की धारा 2(डी) में उक्त पांच जातियों को यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया(गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में नाम निर्देशित किया गया।

उक्त अधिनियम, 2015 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्लूपी न. 1645/2016 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह (रिटायर्ड) व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान, डीबीसी डब्लूपी. न. 2795/2016 कानाशम धायल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं डीबीसीडब्लूपी. न. 1511/2016 भ्रवण सिंह तंवर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 09.12.2016 द्वारा अधिसूचना 16.10.2015 और राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 को विखण्डित (struck down) किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पुनः क्र०स० 5 पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.स. 15 गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.स. 16 पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.स. 20 पर गूजर, गुर्जर एवं क्र.स. 44 पर राईका, रैबारी (देबासी) को सम्मिलित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखित सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 केटन गुरुकिन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन (under subject to the out come of civil appeal no 1464-66/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court.) रहेगी।

उक्त अधिसूचना दिनांक 09.12.2016 से प्रभावी होगी।

26/12/16
(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

जयपुर, दिनांक

19/12/2012

क्रमांक: एक 11(156)DDBC(R&P)/SJE/2016

प्रतिशोधन निम्न को सूचना हेतु प्रेषित है:-

- 26509-700
- 1) प्रमुख शासन सचिव, महाभद्रम राजस्पाल, महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
 - 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
 - 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रोगण/राज्य मंत्रोगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - 6) समस्त अतिरिक्त/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
 - 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
 - 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0।
 - 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज0।
 - 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....।
 - 13) समस्त जिला कलेक्टर.....।
 - 14) समस्त जिला पुलिस अधिष्ठाता.....।
 - 15) सचिव समस्त आयोग/बोर्ड.....।
 - 16) उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
 - 17) अधीक्षक, केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर राज0 को राजकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
 - 18) गार्ड फाईल।

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव